17

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–111/2022–23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

सुधीर गोप

–::आदेश::–

13.07.2023 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–04/2023, दिनांक–27.01.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि चास(मु0) थाना कांड सं0–52/2021, दिनांक–10.05.2021, धारा–379/34 भा0द0वि0, 21 खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त महिन्द्रा ट्रैक्टर सं0–JH09AS-6932, Eng. No. RKC2EAN1494 Chasis No. MBNANAEXPKRC07213 एवं उस पर लदा लगभग 40 घनफीट बालु वाहन मालिक श्री सुधीर गोप पिता आशु गोप, सा0 पुपुनकी आश्रम थाना–चास, जिला बोकारो के विरूद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत प्रश्नगत वाहन एवं कोयला को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए निबंधित डाक के माध्यम से सूचित किया गया।

प्रतिवादी की ओर से उपस्थिति दर्ज करते हुए कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है, किन्तु सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहे। उनकी ओर से दाखिल कारण–पृच्छा का अवलोकन किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया है कि वर्तमान अधिहरण वाद सच्चाईयों पर एवं कानून के दृष्टिकोण से चलाने योग्य नहीं है। वादी के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सत्य से बिल्कुल परे, मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है। याचिकाकर्त्ता के द्वारा The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम–11 के अनुपालन किए बिना ही प्रतिवादी का ट्रैक्टर बिना

किसी तुक एंव कारण के जप्त कर लिया गया था जबकि ट्रैक्टर खाली था और इसका उपयोग बालु के अवैध परिवहन के लिए नहीं किया गया था। घटना की तिथि को प्रतिवादी ने एक शव के दाह संस्कार के लिए अपने ट्रैक्टर में जलाऊ लकड़ी लोड की थी और प्रतिवादी ने उक्त जलाऊ लकड़ी को दामोदर नदी के तट पर उतार दिया था और लकड़ी उतारने के बाद, वह अपने घर लौट रहा था। उसी क्रम में जिला खान निरीक्षक, बोकारो ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर वाहन पर बालु लोड दिखाकर जप्त कर लिया गया। साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी के ट्रैक्टर को किराये पर लेने के संबंध में शमशान घाट, दामोदर नदी के प्रबंधक द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति दाखिल की गई है। विपक्षी श्री सुधीर गोप पिता आशु गोप, सा0 पुपुनकी आश्रम थाना–चास, जिला बोकारो महिन्द्रा ट्रैक्टर सं0 JH09AS-6932, Eng. No. RKC2EAN1494 Chasis No. MBNANAEXPKRC07213 के मालिक है और वह निर्दोष है। उन्हें इस वाद में गलत तरीके से फँसाया गया है। विपक्षी के द्वारा कभी भी अवैध रूप से बालु का परिवहन नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने झारखण्ड खान और खनिज अधिनियम या उसके संबद्ध अधिनियमों और नियमों के किसी भी नियम और विनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रश्नगत वाहन प्रतिवादी के आजीविका का एक मात्र श्रोत है और यह ऋण लेकर खरीदा गया है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उक्त थाना काण्ड सं0–52/2021, दिनांक–10.05.2021 के अन्तर्गत जप्त वाहन को माननीय न्यायालय सुश्री सीमा मिंज, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बोकारो के आदेश दिनांक–07.09.2021 के द्वारा प्रश्नगत वाहन (बालु छोड़कर) को प्रतिवादी के पक्ष में सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उल्लेख किया गया कि यह अधिहरण की कार्यवाही विधिक नहीं है। अतः इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए वाद की कार्यवाही को न्यायहित में खारिज कर समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से दायर वाद, प्रतिवादी ओर से दाखिल कारण–पृच्छा एवं अभिलेख में संधारित

अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से अधिहरण की कार्यवाही हेतु वाद दायर करने के पूर्व ही चास(मु0) थाना कांड सं0–52/2021, दिनांक–10.05.2021, धारा–379/34 भा0द0वि0, 21 खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त प्रश्नगत वाहन महिन्द्रा ट्रैक्टर सं0–JH09AS-6932, Eng. No. RKC2EAN1494 Chasis No. MBNANAEXPKRC07213 (बालू को छोड़कर) को मान्नीय न्यायालय सुश्री सीमा मिंज, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बोकारो के द्वारा दिनांक–07.09.2021 को न्यायिक आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। वाहन पर लदा बालू के संदर्भ में अब तक किसी के द्वारा भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस वाद को आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–04/2023, दिनांक–27.01.2023 को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए 40 घनफीट बालू (महिन्द्रा ट्रैक्टर सं0–JH09AS-6932, Eng. No. RKC2EAN1494 Chasis No. MBNANAEXPKRC07213 को छोड़कर) को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि जप्त 40 घनफीट बालू को निलामी के माध्यम से बिक्री कर प्राप्त राशि नजारत अथवा उचित शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करेंगें। उपरोक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 13.7.23	(हस्ताक्षर) 13.7.23
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

C.C. Issued Vide No. 105 Dated 18/8/23

C.C. Issued Vide No. 4228 Dated 27/7/23

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.28 18:50:27 +05:30
Location: 192.168.1.111